औद्योगिक सम्बन्ध
(Industrial Relation)

भारतीय रेल उत्पादन, विकास एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की सतत् प्रक्रिया है जिसका कार्यक्रम निरन्तर चलता रहता है। रेलवे प्रशासन की निरन्तरता बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी पक्षों के आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तथा सद्भावना से ओत–प्रोत हो तथा सभी एक लक्ष्य/उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करें।
किसी संगठन में कार्यरत्त तत्वों के पारस्परिक व्यवहार से औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

किसी संगठन के सफल संचालन हेतु आवश्यक है कि सम्पूर्ण उद्योग में उत्पन्न औद्योगिक विवादों का निपटारा भाांतिपूर्वक व विवके से सभी पक्षों को स्वीकार्य तरीके से किया जायें।

भारतीय रेलों में तीन स्तरीय प्रशासन कार्यरत है तथा कर्मचारियों के मसलों का निष्पादन विभिन्न स्तरों पर आवश्यकतानुसार किया जाता है।

मान्यता प्राप्त संगठन
मान्यता प्राप्त संगठन वह संगठन है जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत रजिस्टर्ड है व जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय रेल पर स्थायी रूप से दो कर्मचारी संगठनों को मान्यता प्रदान की गयी है।
1. ऑल इण्डिया रेलवे मैन्स फेडरेशन यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध है।

2. नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवे मैन्स यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध है।

उपरोक्त दोनों संगठन समूह ''ग'' व ''घ'' में कार्यरत्त कर्मचारियों से सम्बन्धित है। रेलों के क्षेत्रिय स्तर पर यूनियनों को मान्यता प्रदान की हुई है, जो मंडल/कारखाना स्तर पर व क्षेत्रीय स्तर पर प्रबन्धक से विवादों का हल वार्ता के माध्यम से करवाते हैं तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर इन संगठनों के सम्बन्धित फेडरेशन वार्ता करते हैं।

गैर मान्यता प्राप्त संगठनः
यह वह संगठन है जो इण्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, परन्तु इन्हें सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं की है। ये संगठन भी कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में प्रतिवेदन दे सकते हैं। कर्मचारियों की शिकायतें या समस्यायें किसी भी स्त्रोत से प्राप्त हो उन पर विचार करना प्रशासन का कार्य है, लेकिन अमान्य संगठनों से पत्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये व ना ही इनके साथ नियोजित बैठक की जानी चाहिये। इसके साथ ही अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कर्मचारी एसोसिएशन तथा अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग कमर्चारी एसोसिएशन और उनकी क्षेत्रीय भाषाओं को विशेष छूट दी गई है। वे कोई पत्र अपनी समस्याओं या शिकायतों के बारे में अगर लिखते हैं तो उस पर समूचित कार्यवाही की जाती है तथा उन्हें समुचित जवाब भी दिया जाना चाहिए। साथ ही इन ऐसोसिएशनों के साथ वर्ष में दो अनौपचारिक बैठकें भी आयोजित की जाती है तथा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। ADEN स्तर पर बैठक वर्ष में एक बार इंजी. विभाग की शिकायतों के लिये की जा सकती हैं।

एसोसिएशन को कम्प्यूटर मय इंटरनेट सुविधा के व कॉलोनी केयर कमेटी तथा एरिया हाउसिंग कमेटी में भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

[Rly. Bd. Letter No. 2011 E (SCT) I/22/3 dt. 07.06.11 (NR PS 38/11) & RBE 191/02, 208/02, 141/04, 153/04]

भारतीय रेलवे अ.जा./अ.ज.जा. एसोसियेशन व भारतीय रेलवे अन्य पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन को अधिकारी विश्राम गृह की सुविधा उसी तरह देय होगी जैसी कि मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को देय है।

(R.Bd. letter No. 2012-E(ScT)I/7/11 dt. 12.10.12)

कर्मचारी समिति (Works Committee) :

कार्यशालाओं में जहॉ 100 या उससे अधिक कामगार वर्ष में किसी भी एक दिन कार्यरत हो वहॉ पर सरकार द्वारा सामान्य या विशेष निर्देशानुसार कर्मचारी समितियों का गठन किया जाता है। इस प्रकार की समिति में कर्मचारी व प्रबन्धन दोनों के समान सदस्य होते हैं जिसका उद्देश्य प्रबन्धन व कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना है ।

राजपत्रित अधिकारियों की एसोसिएशन :

भारतीय रेल पर राजपत्रित अधिकारियों की निम्न दो एसोसिएशन भी कार्यरत्त है जिससे उस ग्रुप के अधिकारी सदस्य होते हैं :-

(i) ऑल इण्डिया रेलवे ऑफिसर्स फेडरेशन ।

(ii) ऑल इण्डिया प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन ।

इन फेडरेशनों से संबंधित अधिकरियों की क्षेत्रीय व मंडल स्तर पर भी एसोसिएशन है। रेलवे बोर्ड व महाप्रबन्धक स्तर पर प्रशासन इन फेडरेशन/एसोसिएशन के साथ अनौपचारिक बैठकें आयोजित करता है तथा PREM के तहत मिलने वाली सभी सुविधाऐं इनको देय है। हालांकि इन एसोसिएशनों को श्रम संगठन के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

मान्यता प्राप्त संगठनों व उनके पदाधिकारियों को देय सुविधायें :

मान्यता प्राप्त संगठनों व उनके पदाधिकारियों को निम्न सुविधायें देय है :–

(1) स्थानान्तरण सम्बन्धी : संगठन के पदाधिकारी को मंडल पर स्थानान्तरित करने से पूर्व संगठन के मंडल सचिव की सहमति लेना अनिवार्य है, अगर मंडल सचिव व प्रशासन के बीच किसी स्थानान्तरण पर मतभेद है तो मामला महाप्रबन्धक को अग्रेषित किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) विशेष आकस्मिक अवकाश : संगठन के पदाधिकारियों को स्थाई वार्तातंत्र, अभुगतान, प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदारी आदि विभिन्न बैठकों में सम्मिलित होने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देय होता है।

(3) विशेष पास व कार्ड पास : संगठन पदाधिकारियों को संगठन के कार्य हेतु, विशेष या विभिन्न बैठकों में सम्मिलित होने हेतु विशेष चेक पास देय है। मंडल स्तर पर मान्यता प्राप्त रेल संगठनों और फेडरेशनों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को संगठन कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय रेल के स्तर पर 6 विशेष पास एक साल में मंडल सचिव के आग्रह पर दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संगठन के पदाधिकारियों को मंडल स्तर पर संगठन के कार्य हेतु कार्ड पास भी स्वीकृत किये जाते हैं।

(4) स्थाई वार्तातंत्र की बैठक में भाग लेने आये पदाधिकारियों को रिटायरिंग रूम व विश्राम गृह में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था की जाती है।

(5) संगठन के कार्य व बैठक आदि हेतु संगठन को कार्यालय उपलब्ध करवाया जाता है।

(6) संगठन कार्यालय हेतु व मंडल सचिव व मंडल अध्यक्ष को टेलीफोन की सुविधा निवास पर भी देय है।

(7) परिपत्रों, चयन व वरिष्ठता सूचियों आदि की प्रतियां संगठन को दी जाती है।

(8) रेलवे इन्सटीट्यूट, क्लब व खेलकूद के मैदान संगठनों को संगठन कार्य हेतु दिये जाते हैं।

धरने व प्रदर्शन का अधिकार :- रेल सेवकों/संगठनों को धरने व प्रदर्शन की अनुमति प्रदान करने हेतु निम्न प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जायेगाः-

कोई भी रेल सेवक कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार और प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले या जिसमें न्यायालय का अवमान अन्तवर्लित है या जिससे मानहानि हो या किसी अपराध का उदीयन हो । (पैरा - रेल सेवा आचरण नियम - 1966)

उक्त सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर निम्न निर्देश भी जारी किये गये हैं :-

(परिशिष्ट–I का नियम 07 IREC-I)

(i) यदि भोजन अवकाश के दौरान किसी प्रकार के कार्यालय आने–जाने के मार्ग में किसी भी तरीके से व्यवधान डाले बिना भाांतिपूर्ण और व्यवस्थित बैठकों या प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं तो ऐसी बैठकों या प्रदर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और ना ही उसमें भाग लेने वाले कर्मचारियों पर इस कारण से अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। यही स्थिति कार्य समय के प्रारम्भ से पूर्व आधे घन्टे की मध्यावधि के दौरान और कार्य समय की समाप्ति के बाद आधे घन्टे की मध्यवाधियों के दौरान भाांतिपूर्ण और व्यवस्थित बैठक और प्रदर्शन में लागू होगी ।

(ii) प्रदर्शन, बैठके और जुलूस, जो व्यवस्थित और शान्तिपूर्ण हो और कार्यालय परिसरों से बाहर तथा कार्य समय से भिन्न आयोजित किए जाए, कार्यालय कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए।

(iii) कार्य के समय बिल्ले पहनने में व्यवधान नहीं डालना चाहिये जब तक कि बिल्लों पर ऐसे लेख या नारे न हो जो भारत की प्रभुता और अखण्डता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालिनता या नैतिकता के प्रतिकूल हो या जिनके कारण न्यायालय की अवमानना या मानहानि या किसी अपराध के लिए प्रेरणा हो। किसी भी हालत में बिल्ले या भुज बंध के वर्ण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

(iv) कार्यालय के भीतर प्रदर्शन या नारे लगाने या अन्य ऐसे अव्यवस्थित आचरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और कार्यालय परिसरों के भीतर ऐसी कार्यवाही में संल्पित पाए जाने वालों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिये ।

(v) यदि कोई रेल सेवक चाहे ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में, कहीं भी, चाहे कार्यालय परिसरों से बहुत दूर और किसी भी समय, चाहे छुट्टी के दिन किसी प्रदर्शन का आश्रय लेता है और यदि उस गतिविधियों का इस नियम में सूचीबद्ध निशिद्ध गतिविधियों के अन्तर्गत आना सिद्ध किया जा सके तो अनुशासनिक कार्यवाही करना ठीक होगा ।

(vi) भोजन अवकाश के दौरान या कार्य के समय के आरंभ होने से पूर्व आधे घंटे की मध्यावधि के दौरान या कार्य समय के समाप्त होने के बाद आधे घंटे की मध्यावधि के दौरान कार्यालय आने–जाने के मार्ग में किसी भी तरीके से व्यवधान डाले बिना आयोजित भाांतिपूर्ण और व्यवस्थित बैठके और प्रदर्शन इस नियम के अधीन उपबंधों का अतिलंघन नहीं करते ।

(vii) किसी भी प्रकार से ''काम नहीं तो दाम नहीं'' सिद्धान्त की उपेक्षा (प्रवर्चना) नहीं की जानी चाहिये जिसमें हड़ताल में भाग लेने के कारण हुई अनुपस्थिति की अवधि के लिये रेल सेवक को छुट्टी प्रदान करना भाामिल है।

(viii) यदि किसी रेल सेवक द्वारा विशिष्ट रूप से किसी प्रदर्शन में भाग लेने के प्रयोजनार्थ नैमेतिक अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिये नैमेतिक छुट्टी अस्वीकृत करने के लिए स्वतन्त्र है। यदि छुट्टी अस्वीकृत हो जाने के बावजूद कोई कर्मचारी ड्यूटी में अनुपस्थित रहता है तो उसे अप्राधिकृत अनुपस्थिति के सभी तत्संबद्ध परिणाम सहित अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जा सकता है।

<u>भारतीय रेलवे में मान्यता प्राप्त संगठनों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मतदान द्वारा मान्यता प्रदान करना (Modalities for conduction secret ballot)</u> : (Rly Bd No. ERB-1/2007/23/13 Dt. 03-04-07)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णयानुसार रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के क्रम में रेलवे में नवम्बर–07 में गोपनीय मतदान आयोजित किया गया । इसमें रेलवे के ग्रुप ''ग'' व ''घ'' कर्मचारियों के वह संगठन जो Trade Union Act. 1926 के तहत दिनांक 31.12.2006 को एक वर्ष पूर्व पंजीकृत थे, वे चुनाव हेतु पात्र थे ।

चुनाव के परिणाम स्वरूप मान्यता प्राप्त संगठन की मान्यता तब तक रहेगी जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में यह मान्यता रद्द न कर दी जाये।

इसी क्रम में यूनियनों को मान्यता प्रदान करने हेतु भारतीय रेलवे पर द्वितीय चुनाव/गोपनीय मतदान दिनांक 25.04, 26.04 व 27.04.2013 को आयोजित किया गया।

<u>मान्यता हेतु पात्रता</u> :

इस चुनाव में संगठनों को मान्यता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गए :–

1. चुनाव में भाग लेने वाले सभी संगठन जो 3% या 30% उससे अधिक कुल मतदाता सूची का प्राप्त करेंगे, उन्हें मान्यता प्रदान की जायेगी।
2. यदि किसी संगठन को मतदान के कुल वैद्य मतों का 35% या अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उसे भी मान्यता प्रदान की जायेगी।
3. यदि ऊपर मद सं0 01 व 02 में दर्शायी गई स्थिति नहीं रहती है तो ऐसे दो संगठन जिन्होंने अधिकतम वोट प्राप्त किये हैं, उन्हें मान्यता प्रदर्शन की जायेगी, बशर्त है कि दोनों संगठनों को अलग–अलग कुल वैद्य मतों को 35% से अधिक प्राप्त हुए हो ।
4. यदि ऊपर मद सं0 01 व 03 में दर्शायी गयी स्थिति नहीं रहती है तो ऐसा संगठन जिसने अधिकतम वैद्य मद प्राप्त किये हैं उसे मान्यता प्रदान की जायेगी बशर्त है कि उसने वैद्य मतों का कम से कम 20% प्राप्त किया हो । ऐसी स्थिति में सिर्फ एक संगठन को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
5. अगर किसी भी संगठन को 20% मत प्राप्त नहीं होते हैं तो किसी भी संगठन को मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

   रेलवे द्वारा उपरोक्तानुसार चुनाव करवाकर योग्य संगठनों को विभिन्न जोनों हेतु मान्यता प्रदान की गई।

द्वितीय गोपनीय मतदान :- रेलवे के ग्रुप सी व पूर्ववृति ग्रुप डी कर्मचारियों के संगठन को मान्यता प्रदान करने के क्रम में दिनांक 25.04.13 से 27.04.13 तक द्वितीय गोपनीय मतदान रेलवे पर आयोजित हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड द्वारा दो फेडरेशनों यथा व को छः वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर मान्यता प्रदान की गई । [R.B.L.No. 2012/E(LR)III/Misc./6(SB) dt. 31.05.13 & 01.11.13]

संयुक्त परामर्शदात्रा तंत्र (ज्वायन्ट कंस्लटेटिव मशीनरी JCM) :

इस तंत्र की भाुरूआत हिटले काउन्सिल स्कीम के अनुसार 1926 में हुई । इसका उद्देश्य सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच अच्छे सम्बन्ध और सहयोग का वातावरण बनाना है जिससे सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। इस तंत्र में मुख्यतः कर्मचारियों की सेवा शर्तों, काम की परिस्थितियों और कार्यकाल में सुधार आदि से संबंधित मसलों पर विचार किया जाता है। इसमें केवल सिद्धांतों की बात होती है, व्यक्तिगत मसलों पर नहीं । यह तंत्र विभिन्न मंत्रालयों में राष्ट्रीय, विभागीय और रीजनल तीन स्तरों पर काम करता है तथा रेलों पर इसके निम्नलिखित दो स्तर है :-

1. संयुक्त विभागीय काउन्सिल :- यह रेलवे बोर्ड स्तर पर आयोजित होती है। इसके अध्यक्ष सदस्य(कार्मिक) होते हैं। संयुक्त विभागी काउन्सिल में प्रशासन की ओर से 05 से 10 के मध्य सदस्य होते हैं जबकि कर्मचारी पक्ष में दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों में AIRF के 19 व NFIR के 11 यानि कुल 30 सदस्य होते हैं। काउन्सिल की बैठक चार माह में एक बार आयोजित होती है और इनमें विचाराधीन विषयों की कार्यसूची बैठक से कम से कम 30 दिन पूर्व जारी की जायेगी। अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची के बाहर के विशयों पर भी चर्चा हो सकती है। तय कर लिये गये मामलों को अगले 12 माह में कार्यसूची पर नहीं लिया जा सकता। यदि किसी मामले पर सहमति नहीं हो पाती तो ऐसा मामला मध्यस्थता के लिये बोर्ड को सौंपा जा सकता है।

विभागीय परिषद/संयुक्त वार्तातंत्र [Departmental Council/Joint Consultative Mechinery (DC/JCM)		
i	बैठक की अवधि	कैलेण्डर वर्ष में दो बार
ii	कर्मचारियों की ओर से प्रतिभागियों की संख्या	कुल 30 (19 from AIRF & 11 from NFIR)
iii	प्रतिभागी	फेडरेशन के पदाधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्य
iv	ऐजेण्डा का आधार	30 नए मद प्रति बैठक । बैठक का ऐजेण्डा 'Agenda from staff side' कहलायेगा नहीं कि AIRF या NFIR
[Rly. Bd's L.No.- E(LR)III/2007/LRI-25 dt.18.07.2008 (P.No. 286 of RBO 2011)]		

2. संयुक्त राष्ट्रीय काउन्सिल :- यह केन्द्रीय सरकार के स्तर पर केबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित है। इसमें सरकारी पक्ष से विभिन्न मंत्रालयों के 25 सदस्य और कर्मचारी पक्ष से सभी मंत्रालयों के मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के 60 सदस्य होते हैं, जिसमें रेलवे के दोनों फेडरेशनों के 24 सदस्य होते हैं।

पंच फैसला :

यदि उपरोक्त स्तरों पर कोई फैसला न हो तो मध्यस्थता की सीमा में आने विषयों को पंच फैसले के लिए दिया जाता है। पंचों के बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं। एक सदस्य सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत 5 व्यक्तियों की नामिका से होगा और एक सदस्य राष्ट्रीय काउन्सिल के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत 5 व्यक्तियों की नामिका से होगा। अध्यक्ष एक निष्पक्ष व्यक्ति होगा। केन्द्रीय श्रम मंत्री इन तीनों को नामित करेंगे। पंच फैसले की भार्तें सभी पर बाध्य होती है। केवल संसद को ही इस मामले में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है।

क्षेत्रीय परिषद :

क्षेत्रीय परिष्सद के अध्यक्ष महाप्रबन्धक होते हैं व मान्यता प्राप्त संगठन की तरफ से प्रत्येक संगठन के समान प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेते हैं, जिनकी संख्या क्षेत्रीय आधार पर निश्चित की जाती है। इस परिषद द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं पर विचार किया जाता है तथा इनके निर्णय उसी क्षेत्रीय रेलवे पर ही लागू होते हैं।

स्थायी वार्तातंत्र (पी एन एम) :

1951 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने एक स्थाई वार्तातंत्र स्थापित करने की सिफारिश की थी जिसके तहत ऑल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के साथ एक स्थायी वार्तातंत्र स्थापित किया गया जिससे उनसे कार्मिक मसलों पर वार्ता की जाती थी। 01 जनवरी–1952 से भारतीय रेलवे पर स्थाई वार्तातंत्र प्रणाली (पी0एन0एम0) का शुभारम्भ किया गया। इस स्थाई वार्तातंत्र में कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी भार्तों तथा नीतिगत मसलों पर निर्णय लिये जाते हैं।

इस वार्तातंत्र की बैठक तीन स्तरों पर आयोजित होती है :-

(1) रेलों पर - (क) मंडल या कारखाना स्तर (ख) रेल मुख्यालय स्तर

(2) रेलवे बोर्ड

(3) तदर्थ ट्रिब्यूनल

स्थायी वार्तातंत्र की स्तरीय व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

क्र. सं0	स्तर	वार्ता की अवधि	अध्यक्ष	संयोजक	संगठन प्रतिनिधि	संगठन को सुविधाएं
1	2	3	4	5	6	7
1	मंडल स्तर, कारखाना स्तर	दो माह में एक बार	मं0रे0प्रबन्धक कारखाना प्रमुख	वरि0मं0का0अ0 प्रवर का0 अधि0 या सहा0का0अधि0	20* 15* (+एक महिला कर्मचारी हेतु)*	1) कार्ड पास 2) रेलवे टेलीफोन 3) कार्यालय परिसर 4) विशेष आकस्मिक अवकाश 5) वार्ता अवधि में ठहराव हेतु विश्रामगृह 6) परिपत्रों की प्रतियां 7) स्थानान्तरण पूर्व संगठन की सहमति
2	क्षेत्रीय मुख्यालय	तीन माह में एक बार	महाप्रबन्धक	मु0का0अधि0 (आई.आर.)	20 (+दो महिला प्रतिनिधि)*	– वही –
3	रेलवे बोर्ड स्तर पर	मान्यता प्राप्त फेडरेशन के साथ प्रति वर्ष प्रति फेडरेशन दो बैठके।	सदस्य कार्मिक		25 (+दो महिला प्रतिनिधि)*	– वही –
4	स्टोर विभाग	दो माह में एक बार	वरि0मं0सा0प्रब0	स0का0अधि0	15	– वही –

नोट :- (i) प्रति पीएनएम AIRF 30 नए मद व NFIR 18 मद रख सकते हैं। (विभिन्न जोन/यूनिट में इनसे संबंधित संगठनों कही मान्यता के अनुपात में)

(ii) फेडरेशन इन बैठकों में उन जोनों से संबंधित मद रख सकती हैं जहॉ उनके संगठनों को मान्यता प्राप्त है अथवा ऐसे पॉलिसी मद जो पूर्ण भारतीय रेलवे को प्रभावित करते हो ।

(iii) PRESS of N.E. Rly, DREU of Southern Rly. & NRMS of S.W. Rly जैसे ऐसे संगठन जो न तो AIRF और न ही NFIR से संबंधित हैं और विभिन्न जोनल रेलवे पर मान्यता प्राप्त है, उनके मामले में जोनल स्तर पर आयोजित होने वाली पीएनएम बैठकों में से वर्ष में एक बार रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे ताकि इन संगठनों के बोर्ड स्तरीय मामलों का निष्पादन हो सके ।

[*Rly. Bd letter No. E(LR)71/LR I-28 dt.15.03.71; 07.04.11, E(LR) 1/2010/PNM1-1 dt. 07.12.11 (P.No. 286 & 323 of RBO 2011)]

अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी मद पर बिना सूचना के भी विचार किया जा सकता है।

यह बैठकें सभी स्तर पर दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ अलग–अलग होती है। वार्ता का एजेण्डा एक माह पूर्व दिया जाता है, जबकि मंडल/कारखाना स्तर पर वार्ता का एजेण्डा दो/तीन सप्ताह पूर्व दिया जाता है। संगठन के प्रतिनिधियों को बैठक के एक दिन पूर्व भी विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है ताकि वे आपस में बैठक करके वार्ता हेतु पूर्व तैयारी कर सकें। विभिन्न स्तरों पर वे ही मद वार्ता तंत्र की बैठक में उठाये जाते हैं जिन पर उस स्तर पर निर्णय हो सके। यदि मंडल/कारखाना स्तर पर हुए निर्णय से संगठन संतुष्ट न हो तो मुख्यालय के स्तर पर वही मद संगठन उठा सकते हैं।

I. तदर्थ ट्रिब्युनल :

यदि किसी महत्वपूर्ण विषय पर रेलवे बोर्ड स्तर पर समाधान न हो सके तो उस विषय को उसी उद्देश्य से स्थापित तदर्थ ट्रिब्युनल के सामने रखा जा सकता है। ट्रिब्युनल के निर्णय को बोर्ड स्वीकार/अस्वीकार व परिवर्तित कर सकता है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का सेवामुक्त न्यायाधीश सकता है। प्रशासन व कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस ट्रिब्युनल में बराबर संख्या में होते हैं। इस स्तर पर जिन विषयों पर निर्णय हो जाये उसे संगठन दो वर्ष तक नहीं उठा सकता है, परन्तु जिन्हें बोर्ड अस्वीकार या परिवर्तित कर दे उन्हें एक वर्ष बाद फिर उठाया जा सकता है।

II. नॉन पेमेन्ट (अभुगतान प्रक्रिया) :

प्रत्येक प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के परिवाद भांति–भांति प्रकार के होते हैं जिसमें सेवा से सम्बन्धित मुद्दे शामिल हैं जिनका पी.एन.एम के माध्यम से निपटान सम्भव है। किन्तु वे मसले जो कर्मचारियों को समय पर भुगतान से सम्बन्धित होते हैं उनका निपटान भी आवश्यक है, इसी को ध्यान में रखते हुए कारखाना/मंडलीय स्तर पर या शाखा स्तर पर नॉन–पेमेन्ट बैठकें आयोजित की जाती है।

इस मंच के माध्यम से शिकायत निवारण की प्रकिया दो प्रकार से सम्पन्न होती है :-

1. दोनों मान्यता प्राप्त संगठन प्रशासन को अपने यहॉ दर्ज कर्मचारियों की शिकायतें भेजते हैं तथा प्रशासन इसका समुचित निष्पादन करता है।
2. प्रशासन की ओर से कर्मचारियों की ''अ–भुगतान'' से सम्बन्धित शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटाया जाता है।

उक्त दोनों स्थितियों में शिकायतों के निपटान की सूचना ''अ–भुगतान''बैठकों में मान्यता प्राप्त संगठन के सदस्यों को बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) से दी जाती है।

इन बैठकों में संगठन के प्रतिनिधियों को पास तथा विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधाएं देय होती है।

प्रेम (PREM)

1972 से 1994 तक भारतीय रेलों पर समवेत उद्यम समूह (CEG) के नाम से एक समूह कार्यरत्त था, जो रेलों की कार्यक्षमता और व्यवहार्यता में सुधार तथा मूल्यांकन का उद्देश्य रखता था।

सन् 1994 में एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी का नाम दिया गया। यह संविधान की धारा 43–ए के तहत् राज्य नीति के अन्तर्गत ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है। इस समूह के मुख्य उद्देश्य निम्न है :-

1. रेलों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, आंकड़ों व विचारों का आदान–प्रदान करना ।
2. भारतीय रेलों के विनियोग कार्यक्रमों व कल्याण सेवाओं की समीक्षा करना ।
3. भारतीय रेलों की प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
4. संगठन कार्यों में भागीदारी की विचारधारा उत्पन्न करना ।
5. रेल सेवाओं में सुधार क्षेत्रों की खोज करना व रेल यात्री सुविधाओं व रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर विचार–विमर्श करना । यह व्यवस्था तीन होती है, जो निम्नप्रकार से है :-
   1) रेलवे बोर्ड स्तर
   2) महाप्रबन्धक स्तर
   3) मंडल रेल प्रबन्धक स्तर

इसकी बैठक तीन माह में एक बार व एक वर्ष में चार बैठकें आयोजित होती है। यह तीन स्तरीय व्यवस्था निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	स्तर	अध्यक्षता	सदस्य	संयोजक
1	रेलवे बोर्ड स्तर	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड	1. मान्यता प्राप्त प्रत्येक फेडरेशन से चार सदस्य 2. प्रत्येक अधिकारी एसोसिएशन के दो सदस्य 3. RPF एसोसिएशन के दो सदस्य 4. SC/ST एसोसिएशन के दो सदस्य * 5. OBC एसोसिएशन के दो सदस्य *	संयुक्त सचिव (स्थापना)

क्र0सं0	स्तर	अध्यक्षता	सदस्य	संयोजक
2	महाप्रबन्धक स्तर	महाप्रबन्धक	– वही –	अपर महाप्रबन्धक (जी.)/ मु0कार्मिक अधिकारी
3	मंडल रेल प्रबन्धक स्तर	मंडल रेल प्रबन्धक	– वही –	वरि0मं0कार्मिक अधि0

[*Rly. Bd's L.No.- 2013/E(HR)III/PREM/Misc./1 dt. 19.08.13]

इस समूह के तहत कई उप समितियॉ कार्यरत्त हैं, जैसे :-

(1) कैन्टीन समिति
(2) कर्मचारीहित निधि समिति
(3) कोलोनी केयर समिति
(4) अस्पताल भ्रमण समिति
(5) हस्तकला केन्द्र समिति एवं
(6) रेलवे आवास आवंटन समिति आदि ।

<u>सुविधाएं</u> :-

प्रेम कार्यालय, फैक्स व कम्प्यूटर, सचिव हेतु सहायता राशि, अखबार व पत्रिका हेतु अधिकतम 150/- रूपये प्रतिमाह देय है।

* * *